

2025/662

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

हर्ष वर्धन सिंह बनाम तहसीलदार लीटरावरी

किस्म मुकदमा इजराय मु.नं. 25 वर्ष 2025

दिनांक आज्ञा - पत्र

26/8/25

वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 21/डिफ्रीदार द्वारा इजराय पालना हेतु न्यायालय में पेश किया गया। इजराय प्रा.पत्र का अवलोकन किया। इजराय हस्तगत न्यायालय के दावा मु.सं. 118/2023 बउनवान भागीरथमल आदि बनाम विकास आदि में निर्णय डिफ्री दिनांक 14.08.2025 की पालना के संबंध में है।
अतः प्रकरण इजराय दर्ज रजिस्टर होकर पालना हेतु तहसीलदार, सीकर ग्राहीण को पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 10.09.2025 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
धोद, जिला सीकर

10/9/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ प्रति. सं. 21/ डिफ्रीदार उप. पत्रावली वास्ट ई. रिपोर्ट डि. 06/9/25 को पेश है।

06/10/25

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 14/11/25 को पेश हो

14/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ प्रति सं. 21/ डिफ्रीदार उप. पत्रावली वास्ट ई. रिपोर्ट डि. 17/12/25 को पेश है।

17/12/25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/ डिफ्रीदार उप. प्रकरण इजराय में वर्गित प्रिभमव डिफ्री की पालना के संबंध में तह. लीटरावरी के पत्रांक अ.भा/ 25/4184 डि. 17/12/25 के द्वारा पालना की जाऊ पालना रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अतः हस्तगत इजराय में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से पत्रावली की कार्यवाही को इलीक्ट्रॉनिक रूप की जाती है। पत्रावली फैसल शुमाड होऊ बाद वकील दाखिल पत्रावली



उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

